In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.S.-313/2019

31/03/2022	वादी की ओर से हाजरी दी गई है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी अपने दाखिल आवेदन पत्र U/o-1 Rule-10(2) R/W Sec 151 C.P.C. को संचालित कर निवेदन करते है कि वाद में IDBI Bank एवं Authorised Officer IDBI Bank को पार्टी बनाया जाए। इसके संबंध में वादी की ओर से आवेदन पत्र के साथ कागजात भी दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वाद में एकमात्र प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही जारी है। वादी द्वारा जिस विवादित सम्पत्ति की बात कहीं गई है। उसके संबंध में वादी की ओर से कागजात की क्षायाप्रति भी दाखिल की गई है। अत: IDBI Bank एवं Authorised Officer IDBI Bank इस वाद में Necessary Party है जिनका इस वाद में बने रहना विवादाओं के न्यायपूर्ण विनिर्णयन हेतु आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: वादी की ओर से दाखिल आवेदन पत्र U/O-1 Rule-10(2) R/w-151C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक वाद पत्र में IDBI Bank एवं Authorised Officer IDBI Bank का नाम प्रतिवादी के अगले क्रम में जोड़े। वादी नावांकित प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु सम्मन का जरूरीयात दाखिल करें। तत्पश्चात् कार्यालय दोनों प्रोसेस से सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक 7.5.22 वास्ते प्रस्तुत करें। अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी